कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली

(शिक्षा भवन, दिग्धीकला, हाजीपुर)
रविन्द्र कुमार, बि0शि0से0
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।
मोबाईल नं0–8544412079
हाजीपुर, वैशाली–844102
E-mail Id.-deovaishali.edn@gmail.com,deo-vaishali@bihar.gov.in

पत्रांक–1232

सेवा में,

के0एम0 संध्या मौर्या– आर्दश उच्च विद्यालय सराय, भगवानपुर
श्रीमती चांदनी कुमारी– जे0टी0 उच्च विद्यालय बरूआ, हाजीपुर
श्री अंकित कुमार राव– उच्च विद्यालय शम्भोपुर कोआरी, भगवानपुर
श्रीमती सम्मी कुमारी– उच्च मा0 वि0 सुहदुल्लाहपुर सातन, हाजीपुर
श्रीमती पूनम कुमारी सिंह– उच्च मा0 वि0 हसनपुर ओस्ती, महुआ
अनवर एजाज अख्त – उत्क्रमित उच्च मा0 वि0 बाजितपुर,पातेपुर
श्री अमित कुमार – उच्च मा0 विद्यालय मतैया,वैशाली
जिला– वैशाली।

हाजीपुर, दिनांक–13/06/26

विषयः– स्पष्टीकरण के संबंध में।

प्रसंगः– जिला पदाधिकारी, वैशाली का ज्ञापांक–194 दिनांक–10.02.2026, जिला कल्याण पदाधिकारी, वैशाली का पत्रांक–389 दिनांक–17.03.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में अंकित करना है कि जिला पदाधिकारी, वैशाली के पत्रांक 194 दिनांक 10.02.2026 द्वारा आप सभी को डॉ भीमराव अम्बेदकर आवासीय बालिका विद्यालय, दिग्धी, हाजीपुर में पठन–पाठन हेतु प्रतिनियुक्त करते हुए 05 दिनों के अंदर अनिवार्य रूप से योगदान करने का निर्देश दिया गया था। जिला कल्याण पदाधिकारी, वैशाली द्वारा अपने पत्रांक 389 दिनांक 17.03.2026 के माध्यम से यह प्रतिवेदित किया गया है कि प्रतिनियुक्त कुल 16 शिक्षकों में से मात्र 09 शिक्षकों ने ही उक्त विद्यालय में योगदान किया है। आपके द्वारा निर्धारित समय–सीमा बीत जाने के बावजूद अब तक प्रतिनियुक्ति स्थल पर योगदान नहीं किया गया है। आपका यह कृत्य वरीय पदाधिकारियों के आदेशों की घोर अवहेलना, कर्तव्यहीनता, स्वेच्छाचारिता एवं अनुशासनहीनता को प्रदर्शित करता है।

अतः उपर्युक्त गंभीर लापरवाही एवं आदेश की अवहेलना को देखते हुए आप सभी 07 संबंधित शिक्षकों के वेतन भुगतान पर तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक रोक लगाई जाती है। साथ ही, एतद् द्वारा आपको निदेशित किया जाता है कि पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अंदर डॉ भीमराव अम्बेदकर आवासीय बालिका विद्यालय, दिग्घी, हाजीपुर में योगदान करते हुए अपना स्पष्टीकरण अपने संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक के माध्यम से योगदान पत्र के साथ अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में समर्पित करना सुनिश्चित करें कि वरीय पदाधिकारी के आदेश का उल्लंघन कर प्रतिनियुक्ति स्थल पर योगदान नहीं करने के आरोप में क्यों नही आपके विरुद्ध आरोप पत्र गठित करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ की जाए? निर्धारित अवधि में प्रतिनियुक्त विद्यालय में योगदान नहीं करने की स्थिति मे निलंबित करते हुए अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ कर दी जाएगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

विश्वासभाजन

13.6.25

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।

ज्ञापांकः-1232 हाजीपुर दिनांकः-13/06/25

प्रतिलिपिः-संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी/ संबंधित शिक्षक एवं संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः-HRMS/CFMS वेतन भुगतान शाखा, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला- वैशाली को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपिः-जिला पदाधिकारी, वैशाली की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

13.6.25

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।